

तारीख हुक्म	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज शम्भूलाल गुर्जर निवासी बारठपुरा तह: आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज०)</p> <p>बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा प्रकरण संख्या :- 66/2023 जीसीएमएस नं. :- (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-02-2024	<p>—: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 18.08.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 7. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द ने जरिये पत्रांक/रीडर/2024/1550 दिनांक 24.01.2024 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तैयार कर अपीलार्थी/प्रार्थी के कार्यालय में उपस्थित होकर शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने हेतु कार्यालय तहसीलदार, आसीन्द द्वारा जरिये पत्रांक/आर.टी.आई./2024/37 दिनांक 18.01.2024 से सूचित किया गया, जो आदिनांक तक आवेदक द्वारा उपस्थित होकर जमा नहीं कराया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि रेस्पोंडेंट द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है। 4. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 5. निर्णय आज दिनांक 14-02-2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाबा दाखिल दफ्तर हो। <p>(नमित मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा भीलवाड़ा</p>	